न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, /विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अम्बेडकरनगर

एस0एस0टी0 पाक्सो संख्या–347/2022

सी0एन0आर0नं0–यूपीएएन010024672022

सरकार–बनाम–गोलू यादव उर्फ रविकान्त यादव आदि

मु0अ0सं0:–172/2021

धारा:–363,366,376डी.ए. भा0दं0सं0

व धारा–3/4(2) पाक्सो एक्ट

थाना:–जैतपुर (अम्बेडकरनगर)

19.05.2023

आदेश

पुकार करायी गयी। अभियुक्तगण **गोलू यादव उर्फ रविकान्त यादव एवं दुर्गेश** उपस्थित हैं। उनके द्वारा गैर जमानतीय वारण्ट निरस्त करने हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र स्वीकृत किया गया। उनके विरूद्ध जारी गैर जमानतीय वारण्ट निरस्त किया गया।

आरोप रचना के सम्बन्ध में उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

विद्वान सहायक जिला शासकीय (फौजदारी) द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुए अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रस्तुत किये जाने वाले साक्ष्य का विवरण दिया, जिनके आधार पर उसे आरोपों को साबित करना है।

अभियुक्तगण की तरफ से कथन किया गया कि प्रस्तुत मामले में उन्हें रंजिशन गलत तरीके से व परेशान करने की गरज से झूंठा फंसाया गया है, और वह निर्दोष हैं।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्तगण **गोलू यादव उर्फ रविकान्त यादव एवं दुर्गेश** के विरूद्ध धारा–363,366,376डी.ए. भा0दं0सं0 व धारा–3/4(2) पाक्सो एक्ट 2012 के अन्तर्गत आरोप रचना हेतु प्रथम दृष्टया प्रचुर साक्ष्य उपलब्ध है। तद्नुसार अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त वर्णित धाराओं के अन्तर्गत आरोप रचना की जाय।

(आशीष वर्मा)
दिनांक:–19.05.2023 विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट
अम्बेडकरनगर
जे0ओ0 कोड नं0 यूपी 6211

अभियुक्तगण **गोलू यादव उर्फ रविकान्त यादव एवं दुर्गेश** के विरूद्ध धारा–363,366,376डी.ए. भा0दं0सं0 व धारा–3/4(2) पाक्सो एक्ट 2012 के अन्तर्गत आरोप रचना की गयी। पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक–06.06.2023 को पेश हो। साक्षीगण तलब हों।

(आशीष वर्मा)
दिनांक:–19.05.2023 विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट
अम्बेडकरनगर
जे0ओ0 कोड नं0 यूपी 6211

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश,/विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अम्बेडकरनगर
एस0एस0टी0 पाक्सो संख्या–347/2022
सी0एन0आर0नं0–यूपीएएन010024672022
सरकार–बनाम–गोलू यादव उर्फ रविकान्त यादव आदि
मु0अ0सं0:–172/2021
धारा:–363,366,376डी.ए. भा0दं0सं0
व धारा–3/4(2) पाक्सो एक्ट
थाना:–जैतपुर (अम्बेडकरनगर)

आरोप

मैं आशीष वर्मा, अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट, अम्बेडकरनगर आप अभियुक्तगण **गोलू यादव उर्फ रविकान्त यादव एवं दुर्गेश** पर निम्न आरोप लगाता हूँ–

1. यह कि दिनांक–16.10.2021 को समय रात्रि लगभग 2.00 बजे स्थान बहद ग्राम–जैतपुर खाले का पूरा थाना–जैतपुर जिला–अम्बेडकरनगर में आप लोगों ने वादिनी मुकदमा की नाबालिग पुत्री कु0 शिवांगी आयु लगभग 16 वर्ष को उसके विधिपूर्ण संरक्षता से बहला फुसला कर व्यपहरण कर लिया । इस प्रकार आप लोगों ने ऐसा कार्य किया है, जो भा0दं0सं0 की धारा–363 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

2. यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप लोगों ने वादिनी मुकदमा की नाबालिग पुत्री कु0 शिवांगी आयु लगभग 16 वर्ष को उसके विधिपूर्ण संरक्षता से बहला फुसला कर व्यपहरण अयुक्त संभोग के आशय से किया। इस प्रकार आप लोगों ने ऐसा कार्य किया है, जो भा0दं0सं0 की धारा–366 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

3. यह कि दिनांक–16.10.2021 के पश्चात समय व स्थान अज्ञात पर आप लोगों ने वादिनी मुकदमा की नाबालिग पुत्री कु0 शिवांगी आयु लगभग 16 वर्ष के साथ अन्य अभियुक्त के साथ मिलकर सामूहिक बलात्कार किया गया। इस प्रकार आप लोगों ने ऐसा कार्य किया है, जो भा0दं0सं0 की धारा–376डी.ए. के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

4. यह कि दिनांक–16.10.2021 के पश्चात समय व स्थान अज्ञात पर आप लोगों ने वादिनी मुकदमा की नाबालिग पुत्री कु0 शिवांगी आयु लगभग 16 वर्ष पर प्रवेशन लैंगिक हमला किया। इस प्रकार आप लोगों ने ऐसा कृत्य किया, जो लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधि. 2012 की धारा–3/4(2) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है, और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा मैं आदेशित करता हूँ कि उक्त आरोपों के तहत आप लोगों का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा ।

(आशीष वर्मा)
विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट
अम्बेडकरनगर
जे0ओ0 कोड नं0 यूपी 6211

दिनांक:–19.05.2023

आरोप अभियुक्तगण को पढकर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इन्कार किया तथा परीक्षण की मॉग की।

(आशीष वर्मा)
विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट
अम्बेडकरनगर
जे0ओ0 कोड नं0 यूपी 6211

दिनांक:–19.05.2023

Digitally signed by ASHISH VARMA
Date: 2023.05.20 10:22:17 EDT
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court